इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 250] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 25 जून 2019—आषाढ़ 4, शक 1941

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जून 2019

क्र. बी-15-34-19-चौदह-3.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-डी-15-26-2008-चौदह-3, दिनांक 15 जून 2009 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति सुसनेर जिला शाजापुर की उप तहसील सोयतकला के "क्षेत्र" को शाजापुर जिले की मंडी क्षेत्र सोयतकला को "उक्त क्षेत्र" विपाटित करके स्वतंत्र मंडी घोषित किया गया है.

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 76 (2) के अनुसार कृषि उपज मंडी समिति सुसनेर एवं नवगठित मंडी समिति सोयतकला की आस्तियों एवं दायित्वों के विभाजनार्थ नियुक्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुसनेर को विभाजन अधिकारी नियुक्त किया गया है. विभाजन अधिकारी ने मूल कृषि उपज मंडी समिति, सुसनेर द्वारा नव गठित कृषि उपज मंडी, समिति सोयतकला को राशि रुपये 20,17,698.00 लाख (बीस लाख सत्रह हजार छः सौ अन्ठान्वे मात्र) दिये जाने की अनुशंसा की गई है.

अतः, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 76(3) का प्रयोग करते हुये कृषि उपज मंडी समिति सुसनेर द्वारा नव गठित कृषि उपज मंडी समिति, सोयतकला को राशि रुपये 20,17,698.00 लाख (बीस लाख सत्रह हजार छः सौ अन्ठान्वे मात्र) भुगतान करने की सूचना जारी करती है.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उपेन्द्रनाथ शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 जून 2019

क्र. बी-15-34-2019-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 जून 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उपेन्द्रनाथ शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 25th June 2019

No. B-15-34-2019-XIV-3.—Vide this Department's Notification No. D-15-26-2008-XIV-3, dated 15th June 2009, Sub Tehsil Soyatkala comprising of Shajapur District as its market area has been declared as in independent market after splitting from the market area of District Shajapur.

As specified in Section 76 (2) of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973), Sub Divisional Magistrate Susner has been appointed to the apportionment of the Assets and Liabilities between the Krishi Upaj Mandi Committees Susner, apportion officer has recommonded the Amount of Rs. 20, 17, 698.00 Lakh. (Twenty Lakh Seventeen Thousand Six Hundered Ninety Eight Only) to be released by the Krishi Upaj Mandi Committee Susner to Newly Constituted Krishi Upaj Mandi Committee Soyatkala.

Therefore, in exercise of the powers conferred by Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), in the Section 76(3), the State Government issue to make payment of Rs. 20,17,698.00 Lakh. (Twenty Lakh Seventeen Thousand Six Hundered Ninety Eight Only) to be released by the Krishi Upaj Mandi Committee Susner to Newly Constuted Krishi Upaj Mandi Committee Soyatkala.

Any objection or suggestion which may be received on writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh, Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Bhopal from the date of publication in the "Madhya Pradesh Gazette" will be considered by this State Government.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
UPENDRANATH SHARMA, Dy Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.